आर्डर शीट

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

राजस्व अपील सं0 161/2024 अनवान ***गजेसिंह व अन्य बनाम केशुदेवी वगैरा***

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.06.24	वकील अपीलांट श्री नाहरसिंह सोलंकी एवं रेस्पो0सं0 4–तेजाराम की ओर से केवियटर अधिवक्ता श्री रोशनलाल उपस्थित। उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0, 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी फलौदी, जिला जोधपुर द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 15/2022 में पारित आदेश दिनांक 14.05.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रा0प0 मय श0प0 तथा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु 96 सीपीसी का प्रा0प0 मय श0प0 प्रस्तुत किये गये, जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया। उक्त अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स का मुख्य कथन यह है कि अपीलांट्स की ग्राम बैंगटी हडबूजी के खसरा नं0 4, 4/1 व 6 की खातेदारी भूमि है। जो रेस्पो0 के खसरा नं0 5 व 5/2 की कणा माठ के पडौस में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अपीलांट्स को बिना पक्षकार बनाये तथा बिना सुनवाई का अवसर दिये पत्थरगढी का आदेश पारित कर दिया गया। अपीलाधीन आदेश की पालना में रेस्पो0 अपीलांट्स की खातेदारी भूमि में फेरबदल कर जबरदस्ती तोड–फोड व कब्जा करने को आमदा है। रेस्पो0 के खसरान की न तो अपीलांट्स की	

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

उपस्थिति में सीमाज्ञान/पैमाईश की गई और न ही उनके हस्ताक्षर करवाये गये। अपीलांट्स की खातेदारी भूमि पर पूर्व में तारबंदी व जाली, नाप तोल करके लगवाई हुई है, अन्य भूमि पर कोई कब्जा नही है। रेस्पो0 की जमीन मौके पर खाली पडी है, जिसकी फर्द मौका पैमाईश दिनांक 24.06.2020 को एकतरफा बनाई गई। उक्त भूमि 2 ग्रामों की सीमा सिहडा व जैमला की सरहद पर आयी हुई है, जिसकी पैमाईश करते समय मौके पर कोई पक्के मुटाम नही मिले तथा सरहद की मौका स्थिति विवादित होने के संबंध में हल्का पटवारी द्वारा पैमाईश फर्द में उल्लेख किया गया। ऐसी स्थिति में उक्त पैमाईश फर्द को आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्थरगढी हेतु पारित आदेश कानूनन न्याय संगत नही है। अतः अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित होने से इसकी पालना एवं प्रभाव को रोकने अथवा विकल्पतः अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट्स को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु प्रतिप्रेषित करने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो सं0 4 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि ग्राम बैंगटी कलां स्थित खसरा नं0 5 व 5/2 की खातेदारी भूमि का प्रार्थी–रेस्पो0 पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी द्वारा उक्त खसरान की पैमाईश के आवेदन पर तहसीलदार फलौदी के आदेश कमांक 01 दिनांक 10.06.2020 की पालना में हल्का पटवारी ने दिनांक 24.6.20 को प्रार्थी के उक्त खसरान की पैमाईश कर मौका फर्द रूबरू मौतबिरान तैयार की गई। मौका फर्द अनुसार ग्राम सिहडा व जैमला की सरहद के पके मुटाम मौके पर नही मिलने से तथा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

सरहद की मौका स्थिति विवादित होने से पैमाईश पूर्व दिशा में स्थित खेतों की मेडो तथा पूर्व में पैमाईश किए जा चुके खेतो से शुरू की गई। मौका फर्द में अंकित बिन्दुओं की भुजाओं का माप कम पाया गया। सीमांकन फर्द के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो विधिसम्मत होने से यथावत रखने का आग्रह किया गया।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एवं अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन एवं अवलोकन किया। जिससे प्रकट है कि प्रार्थी–रेस्पो0 के खसरान की पैमाईश शुरू करने में आधार/ प्रारम्भ बिन्दु को लेकर अपीलांट्स व रेस्पो0 के मध्य विवाद है। खातेदार अपने खसरान की पत्थगढी करवाने का अधिकारी है।

अतः उभय पक्ष की सहमति से यह अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए तहसीलदार फलौदी को आदेशित किया जाता हैं कि वह अपीलाधीन आदेश की पालना में उभय पक्ष की उपस्थिति में रेस्पों0 के खसरान की पत्थरगढी करवाने से पूर्व अपीलांट्स के खसरान की पैमाईश करे तथा उसके आधार बिन्दुओं से रेस्पो0 के खसरान में पत्थरगढी की कार्यवाही शुरू करावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय एवं तहसीलदार फ़लौदी को निर्णय की सत्यप्रति से सूचित किया जावे। निर्णय आज खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर